18.1.21	पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट उपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मेमो के कथन, वांछित अनुतोषादि, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि पर सम्यक विचार किया गया।
	अपील ग्राम हमनखेड़ी की भूमि ख० नं० 9 पर दायर नामान्तरकरण सं० 312 आदेश दि० 4.11.19 के क्रम में प्रस्तुत की गई है। अपील में कथन किये हैं, कि उक्त इन्तकाल दायर करते समय एवं तस्दीक करते समय अपीलार्थी के हिस्से 1/2 को 1/6 दर्ज कर दिया गया तथा अपीलार्थी की वल्दियत भी बदल

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए
	दी गई है। बाद तामील नामान्तरकरण में अपीलार्थी के हक प्रभावित हो गये थे अतः अपील स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। अपील अपीलार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजि० की जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन तलब किया। रेस्पो० के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस सुनी। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो को दोहराया तथा फर्द के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये दस्तावेज शामिल पत्रावली किये। प्रकरण में यह तय है, कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम हेमनखेड़ी की भूमि ख० नं० 9 रकबा 0.89 हेक्टर का जरिये रजिस्टर्ड बयनामा हिस्सा ½ क्रय किया गया है नामान्तरकरण 312 के उपरान्त चूंकि अपीलार्थी का हिस्सा व नाम अपरिवर्तित रहना था किन्तु उक्त नामान्तरकरण की	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म तामील में
	प्रक्रिया के दरम्यान अपीलार्थी का हिस्सा तथा वल्दियत दोनों की परिवर्तित कर दी गयी किसी अन्य सहखातेदार की मृत्यु होने पर अपीलार्थी को उक्त विरासत की प्रक्रिया से असंबद्ध था का हिस्सा व नाम परिवर्तन कर देना अनुचित है सहखातेदार रामदयाल के हिस्सा 46 में ही उनके वारिसान का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था, जिसे परिवर्तन कर अपीलार्थी के हिस्से आदि को परिवर्तन की त्रुटि की रिपोर्ट पटवारी दि0 14.2.20 तथा जाँच नायब तहसीलदार दि0 30.6.20 में स्वीकार किया गया है।	
	प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम	
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

हुक्म		अहलकार जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हेमलखेड़ी का नामा० नं० 312 निर्णय दि० 5-11-19 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश सहित प्रति-प्रेषित किया जाता है, कि वे पक्षकारान् को सुनकर पुनः नवीन सिरे से विधिसंगत निर्णय पारित करे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रामगंजमण्डी को भेजकर लेख है, कि वे प्रकरण की जाँच कर संबंधित पटवारी व I.L.R के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करें। पत्रावली की निष्ठित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय आज दि० 18.1.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया। (देशलदान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	